न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 128/2016 **दायर तारीख :–** 28-12-2016

1. हरिसिंह राव पुत्र श्री ब्रदी राव सिंह जाति राजपूत निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र श्री गंगाराम जाति माली निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा

खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादी
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 25.02.2021

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम मैड के हाल खसरा नम्बर 1842/0.44 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2070–2073 है। यह है कि आराजी खसरा नंबर 1842/0.44 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी संवत् 2062–2065 की जमाबंदी में सीताराम पुत्र गंगाराम जाति माली सा. देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है, जिसके मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 सीताराम पुत्र गंगाराम उक्त आराजी के हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार होता है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी उक्त आराजी को मौके पर छोटे–छोटे भूखण्डों में बांटकर उनका बेचान वादी एवं अन्य कई व्यक्तियों को किया है। वादी ने भी प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त आराजी खसरा नंबर 1842/0.44 के हिस्सा 1/2 जिसका रकबा 0.22 हैक्टेयर होता है में से हिस्सा 1/14 दर हिस्सा 1/2 यानि सम्पूर्ण रकबे का हिस्सा 1/28 को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 23.07.2005 को खरीदा था। रजिस्ट्री दिनांक 23.07.2005 में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बेचान किए गए भूखण्ड की माप पूर्व–पश्चिम 28 फीट 6 ईंच, उत्तर दक्षिण 60 फीट मुरब्बा 190 वर्ग गज स्पष्ट रूप से अंकित किया है। उक्त भूमि का हिस्सा 1/28 ही बनता है। यह कि 190 वर्गगज को मीटर में बदलने पर रकबा 158 वर्गमीटर बनता है। वादी

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

द्वारा खरीदी गयी उक्त भूमि का वादी के हक में नामान्तकरण संख्या 914 दिनांक 06.06.2006 तस्दीक किया जाकर जमाबंदी संवत् 2062–2065 में नामान्तकरण का नोट भी दर्ज कर दिया गया जिसके मुताबिक खसरा नंबर 1842 का हरिसिंह राव पुत्र बद्री सिंह राव जाति राजपूत हिस्सा 1/28 सीताराम पुत्र गंगाराम हिस्सा 13/28 सेडी बेवा गंगाराम हिस्सा 1/2 माली सही अंकन दर्ज भी किया गया हैं। यह है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा चौसला जमावंदी बनाते समय लापरवाही पूर्वक हिस्सेदारी दर्ज की जाने से वादी के हिस्स 1/28 जिसका रकबा 158/4400 होता है के स्थान पर जमाबंदी संवत् 2066–2069 में हिस्सा 78/4400 गलत दर्ज कर दिया और प्रतिवादी का हिस्सा बढाकर दर्ज किया गया है, जो काबिले दुरूस्ती है। यह है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई लापरवाही की वजह से वादी का हिस्सा आज भी कम दर्ज रिकॉर्ड चल रहा हैं। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 अपने द्वारा अपने नाम दर्ज शेष भूमि को दीगर व्यक्तियों के हक में शीघ्र ही जरिये रजिस्ट्री करवाने की भी धमकी देने लगा है जिससे दुरूस्ती का दावा करना आवश्यक हो गया है एवं वादी के हिस्से की घोषणा करवाया जाना आवश्यक हो गया है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 अपने द्वारा दी गई धमकी को अमल में लाते हुए अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि का बेचान एवं रजिस्ट्री करवाने में सफल हो गये तो वादी को अनावश्यक मुकदमें बाजी में फसना पडेगा, जिससे वादी के समय व धन की अनावश्यक बर्बादी होगी तथा वादी को जो हानि होगी, उसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार के धन के रूप में किया जाना संभव नहीं होगा। अतः निवेदन है कि डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी इस अमर की प्रदान की जावे कि भूमि हाल खसरा नंबर 1842/0.44 हैक्टैयर भूमि वाके ग्राम मैड पटवार हल्का मैड तहसील विराटनगर में से वादी द्वारा खरीदी गयी भूमि हिस्सा 1/14 दर हिस्सा 1/2 यानि हिस्सा 1/28 जिसका रकबा 158/4400 होता है रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने एवं तदनुसार वादी को उक्त खसरा नंबर 1842/0.44 हैक्टेयर के हिस्सा 158/4400 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने एवं प्रतिवादी का हिस्सा तदनुसार कम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे। साथ ही प्रतिवादी को सदा सदा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण, वादी को उसके वास्तविक हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग व उपभोग करने देवें तथा किसी तरह की बाधा कारित या मजामहत पैदा नहीं करें।

2. वादपत्र वाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. वादी ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल विक्रय पत्र सीताराम बहक हरिसिंह दिनांक 23.07.2005, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड खाता

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

संख्या 873 संवत् 2062–2065 **प्रदर्श–1**, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड खाता संख्या 1066 संवत् 2066–2069 **प्रदर्श–2**, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड खाता संख्या 1172 संवत् 2070–2073 **प्रदर्श–3**, नकल जमाबंदी ग्राम मैड खाता संख्या 1321 संवत् 2074–2077 **प्रदर्श–4,** नकल नामान्तकरण संख्या 914 दिनांक 06.06.2006 **प्रदर्श–5** आदि पेश किए है।

4. प्रकरण में साक्ष्य वादी में वादी हरिसिंह राव पुत्र बद्री सिंह राव मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश किया गया तथा बयान पंजीबद्व किए गए।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम मैड के हाल खसरा नम्बर 1842/0.44 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं अन्य खातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2070–2073 है। खसरा नंबर 1842 रकबा 0.44 हैक्टेयर में वादी ने जरिये विक्रय पत्र के प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 1/14 क्रय किया था, जिससे सम्पूर्ण खसरा नंबर में वादी का हिस्सा 1/28 बनता है। विवादित खसरा नंबर में उभयपक्षों की हिस्सेदारी का अवलोकन किया गया। वादी का खरीदी गई भूमि का हिस्सा 158/4400 बनता है, जिसका नामान्तकरण भी हिस्सा 1/28 सही तस्दीक किया हुआ है, परन्तु चौसाला बनाते समय वादी का हिस्सा कम कर 78/4400 दर्ज कर दिया जो वास्तविक हिस्से 158/4400 से हिस्सा 80/4400 कम है, जिससे प्रतिवादी मूल खातेदार का हिस्सा बढ़ जाना साबित होता है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1211/4400 में से वादी के हिस्से 80/4400 की पूर्ति कर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1131/4400 किया जाना न्यायसंगत है।

7. वादी ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम मैड के हाल खसरा नम्बर 1842/0.44 हैक्टेयर की खातेदारी में वादी का हिस्सा 78/4400 के स्थान पर 158/4400 किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर किया जाता है के वे वादी के खातेदारी के उपयोग–उपभोग में किसी तरह की बाधा कारित नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

आज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. हरिसिंह राव पुत्र श्री बद्री राव सिंह जाति राजपूत निवासी गैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र श्री गंगाराम जाति माली निवासी गैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

8. **मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या** 128/2016 **दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादी** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैराकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि डिकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी इस अमर की प्रदान की जावे कि भूमि हाल खसरा नंबर 1842/0.44 हैक्टैयर भूमि वाके ग्राम गैड पटवार हल्का गैड तहसील विराटनगर में से वादी द्वारा खरीदी गयी भूमि हिस्सा 1/14 दर हिस्सा 1/2 यानि हिस्सा 1/28 जिसका रकबा 158/4400 होता है रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने एवं तदनुसार वादी को उक्त खसरा नंबर 1842/0.44 हैक्टेयर के हिस्सा 158/4400 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने एवं प्रतिवादी का हिस्सा तदनुसार कम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे। साथ ही प्रतिवादी को सदा सदा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण, वादी को उसके वास्तविक हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग व उपभोग करने देवें तथा किसी तरह की बाधा कारित या मजाहमत पैदा नहीं करें।

सुना गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष व पैरोकार सरकार सुनी गई। प्रकरण में पेश दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र डिकी किया जाता है। वाके ग्राम गैड के हाल खसरा नम्बर 1842/0.44 हैक्टेयर की खातेदारी में वादी का हिस्सा 78/4400 के स्थान पर 158/4400 किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर किया जाता है के वे वादी के खातेदारी के उपयोग–उपभोग में किसी

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

तरह की बाधा कारित नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर(जयपुर)

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 25.02.2021** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर(जयपुर)

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर(जयपुर)